



ई-मेल/डाक

CIN : U31200UP2003SGC027458

कायालय

Office of the
प्रबन्ध निदेशक

MANAGING DIRECTOR

पश्चिमोच्च विद्युत वितरण निगम लि०

Paschimanchal Vidyut Vitran Nigam Ltd.

विक्टोरिया पार्क, मेरठ

Victoria Park, MEERUT—250001

सं० 3893/पविनिनिलि/मे०/हा०/ई-3

दिनांक: 01.04.2025

कार्यालय ज्ञाप

श्री शीशपाल सिंह, अवर अभियन्ता (सैप आईडी-11000806) के प्रार्थना पत्र दिनांक 27.01.2025 के द्वारा किये गये अनुरोध, मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा Civil Misc. Writ Petition No. 20515/2024 Sheesh Pal Singh Vs. State of U.P. & Ors एवं CONTEMPT APPLICATION (CIVIL) No.-1034 of 2025 में पारित आदेश दिनांक 20.12.2024 व 11.03.2025 तथा उपविधि अधिकारी, पविनिनिलि, मेरठ द्वारा दिनांक 01.04.2025 को प्रदत्त विधिक अभिमत के अनुक्रम में, निगमीय कार्यालय ज्ञाप सं० 3079/पविनिनिलि/मे०/हा०/ई-3 दिनांक 12.12.2024 के द्वारा किये गये स्थानान्तरण आदेश को निरस्त करते हुये एतद्वारा निम्नानुसार आंवाटन किया जाता है :-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम/पदनाम/ गृह जनपद/सैप आई.डी.	वर्तमान तैनाती इकाई	ज्ञाप सं० 3079 दिनांक 12.12.2024 के द्वारा आंवाटित इकाई	नव आंवाटित इकाई
1	2	3	4	5
1	श्री शीश पाल सिंह पुत्र श्री दुर्गा प्रसाद/बुलन्दशहर/ अवर अभियन्ता/ 11000806	विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम, नोएडा	विद्युत वितरण मण्डल, रामपुर	कार्यालय मुख्य अभियन्ता, नोएडा क्षेत्र, नोएडा

उपरोक्त आदेश मा० सर्वोच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका सं० 79/1997 में दिये गये अन्तिम आदेश दिनांक 21.03.07 के द्वारा गठित स्वतंत्र समिति के निर्देशों के अधीन निर्गत किये जाते हैं।

उपरोक्त कार्मिक को स्थानान्तरण यात्रा भत्ता एवं कार्यभार ग्रहण काल नियमानुसार अनुमन्य नहीं होगा।

नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि उक्त कार्मिक को स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल कार्यमुक्त कर नव तैनाती इकाई पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें।

उक्त आदेशों के अनुपालन में स्थानान्तरण सम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया का सम्पादन ईआरपी/सैप प्रणाली के माध्यम से करना सुनिश्चित किया जाये।

प्रबन्ध निदेशक

सं० 3893 (i)/पविनिनिलि, तददिनांक: 01.04.2025

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
2. शिविर कार्यालय, प्रबन्ध निदेशक महोदया, पविनिनिलि, मेरठ।
3. मुख्य अभियन्ता (वितरण), पविनिनिलि, नोएडा क्षेत्र, नोएडा को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त कार्मिक के देय वेतन एवं भत्तों का भुगतान नियमानुसार कराने का कष्ट करें।
4. अधीक्षण अभियन्ता, पविनिनिलि, विद्युत नगरीय वितरण मण्डल-प्रथम, नोएडा को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त कार्मिक के देय वेतन एवं भत्तों का भुगतान नियमानुसार कराने का कष्ट करें।
5. अधीक्षण अभियन्ता, पविनिनिलि, विद्युत वितरण मण्डल, रामपुर।
6. उपविधि अधिकारी, पविनिनिलि, मेरठ को उनके द्वारा दिये गये विधिक अभिमत के अनुक्रम में।
7. अधिशासी अभियन्ता, पविनिनिलि, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम, नोएडा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त कार्मिक के देय वेतन एवं भत्तों का भुगतान नियमानुसार कराने का कष्ट करें।
8. सम्बन्धित कार्मिक/कट फाइल।


(विनोद कुमार अवस्थी)
अधीक्षण अभियन्ता(हा०)